

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/-U/जोन-भरतपुर/2023/ दिनांक :

### आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री राजेश कुमार मीना, कनिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 07.06.2021 है तथा दिनांक 06.06.2023 को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है का दिनांक 07.06.2023 से रूपये 20800 (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/8149-U/जोन-भरतपुर/2023/ 652  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 28-08-23

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन भरतपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री राजेश कुमार मीना, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Surish Kumar  
Naval  
Designation : Director  
Date: 2023.08.25 12:45:49 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4469640

C:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystem\DAISStore\DigiGOV\Intranet\PDF\4469640\_41969518917308689.docx

